

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-2

संख्या: 141/2018/4532/दो-2-2018-19/2(1)/2016 टी.सी.॥

लखनऊ: दिनांक: 31 दिसम्बर, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, उ०प्र० सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के उच्चतर वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रू०-37,400-67,000 ग्रेड पे रू०-8,900/- (लेवल-13क) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारीगण को उच्चतम वेतनमान, वेतन बैण्ड-4, रू०-37,400-67,000 ग्रेड पे रू०-10,000/- (लेवल-14) में वर्तमान पद पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०	अधिकारी का नाम/बैच/वर्तमान तैनाती
1	2
1.	श्री बद्रीनाथ सिंह, 1998, मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
2.	श्री राकेश चन्द्र शर्मा, 1998, अपर आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
3	श्री अंजनी कुमार सिंह, 1998, मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
4	डा० इन्द्रमणि त्रिपाठी, 1998, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
5	श्री सौम्य श्रीवास्तव, 1998, अपर स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
6	श्रीमती गरिमा यादव, 1998, सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग, उ०प्र० लखनऊ।
7	श्री आशुतोष कुमार, द्विवेदी 1998, मुख्य विकास अधिकारी, मऊ।
8	श्री आनन्द कुमार, 1998, मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई।
9	श्री जंग बहादुर यादव-1, 1998, उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद, लखनऊ।
10	श्री मनोज कुमार, 1998, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
11	श्री आलोक कुमार, सचिव, 1998, नेडा, लखनऊ।

मुकुल सिंहल

अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 141/2018/4532(1)/दो-2-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


1. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. मा० अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग, लखनऊ।
3. स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग/ अतिरिक्त उर्जा श्रोत विभाग/नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
6. मण्डलायुक्त/गोण्डा/लखनऊ।
7. निदेशक, नेडा, लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, बलिया/बाराबंकी/मऊ/हरदोई।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज को सरकारी राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
10. संयुक्त सचिव, इरला चेक (वेतन पची अनुभाग), उ0प्र0शासन।
11. सम्बन्धित अधिकारीगण।
12. नियुक्ति अनुभाग-7/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(राजेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।